

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

परमेश्वर बनाम कैलाशी वगै०

CGMS-2025/12

दमा नम्बर :- 11 / 2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

| क्रमा | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|-------|---------------------------------|---|----------------|
| | 10.01.2025 | <p>प्रार्थी की ओर से प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 के तहत पेश हुआ। प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी के वकील ने अपनी अंतरिम बहस प्रार्थना पत्र में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड व दस्तावेजात के अवलोकन से पत्रावली में गुवावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है अतः प्रार्थी की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तलबी आगामी पेशी दिनांक 20.01.2025 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)</p> <p>20/1/25 व. प्रार्थी अण० पत्रावली-बाउ-तलबी आगामी दिनांक 28/1/25 को पेश है।</p> <p>सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)</p> <p>28/1/25 व. प्रार्थी अण० पत्रावली बाउ-तलबी आगामी दिनांक 05/3/25 को पेश है।</p> <p>05/3/25 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय में समय समय पर वेग-तक वकील प्रार्थी के घर-घर आता है। प्रार्थी नहीं। वकील प्रार्थी अलापत व वकीलत अन्तर्गत है अतः पत्रावली अन्तर्गत प्रार्थी अन्तर्गत में खारिज में खारिज की जाती है। पत्रावली अन्तर्गत से अन्तर्गत तथा अन्तर्गत है।</p> <p>सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)</p> | |